वामपंथी मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस में रार

आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा, वामपंथी-माओवादी घुसे : गोयल

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को अब 17 दिन हो गए हैं और शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आंदोलन अब किसानों का प्रदर्शन नहीं रह गया है क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्वों की घुसपैठ हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधारों को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गोयल ने यह नहीं बताया कि क्या सरकार की प्रदर्शन स्थलों पर देखे गए प्रतिबंधित संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की योजना है या नहीं।

रेल, वाणिज्य और उद्योग और खाद्य और आपूर्ति मामलों के केंद्रीय मंत्री, गोयल ने फिक्की की वार्षिक बैठक में कहा, 'अब हमें लगता है कि तथाकथित किसान आंदोलन बमुश्किल ही किसानों का आंदोलन रह गया है। इसमें वामपंथी और माओवादी तत्वों की घुसपैठ हो गई है। जिसका नजारा हमने पिछले दो दिन में देखा जब राष्ट्रविरोधी कृत्यों के लिए जेलों में डाले गए लोगों की रिहाई की मांग उठी।' उन्होंने कहा कि किसानों के मंच से तथाकथित विद्वानों और कवियों को रिहा करने की मांगें साफ दर्शाती हैं कि कृषि सुधारों को पटरी से उतारने के प्रयास संभवतः कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में हैं जो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं।

गोयल ने कहा, 'मैं फिक्की से जुड़े सभी नेक कारोबारियों और सभी विद्वानों, जो इस वेबकास्ट से जुड़े हैं, से आग्रह करूंगा कि इन कृषि कानूनों के लाभों के बारे में बात करें। अगर आपको कोई आशंका है तो हमसे बात कीजिए।' मंत्री ने आश्वासन दिया कि ये कानून देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के फायदे के लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के तहत खरीद को लगभग दोगुना कर दिया है जबकि एमएसपी पर गलत तरह से खतरा होने की बात दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मंत्री ने कहा, 'इस सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक मिले।' उन्होंने कहा, 'इस सरकार ने कृषि बजट को करीब छह गुना बढ़ाया है।'

सुरजेवाला ने गोयल के बयान की आलोचना की

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन पर माओवादी तत्वों के कब्जा करने संबंधी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान को लेकर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस सरकार में बैठे लोगों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अपने मंत्रियों के बयानों के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और किसानों की मांग स्वीकार करनी चाहिए। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'मोदी जी, लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है।' उन्होंने कहा, 'भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगें तत्काल पूरी करिए।'

गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि किसानों की आड़ में कुछ 'असामाजिक तत्व' उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से ऐसे तत्वों को अपने मंच का दुरुपयोग नहीं करने देने की अपील की। वहीं,पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि प्रतीत होता है कि कुछ वामपंथी और माओवादी तत्वों ने आंदोलन पर 'कब्जा' कर लिया है और किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाए वे शायद कुछ और एजेंडा चला रहे हैं।

कर्ज को बढ़ावा देने पर सरकार कर रही है काम : कांत

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि भारत का निजी ऋण और जीडीपी अनुपात इसके वैश्विक साथियों के मुकाबले सबसे कम है और सरकार अभी तक अछूते क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा तैयार कर रही है।

उन्होंने ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (जीएएमई) की ओर से आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में कहा कि हाल के वर्षों में भारत के बड़े हिस्से में ऋण परिदृश्य को भार माना जाता था।

उन्होंने कहा कि भारत का निजी ऋण और जीडीपी अनुपात वैश्विक साथियों के मुकाबले सबसे कम है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जबरदस्त वृद्धि हुई है, उनके जीवन स्तर में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि वियतनाम का हालिया विकास कुछ हद तक निजी ऋण में वृद्धि के चलते हुआ है। कांत ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की ओर से उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को काफी कम पूरा किया जाता है।

इसके साथ ही अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि सरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई उपाय कर रही है और इस बात पर जोर दिया है कि देश को वृद्धि के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने फिक्की के अधिवेशन में कहा कि सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने के लिए काम कर रही है।

कांत ने कहा कि सरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पिछले महीने घोषित की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से विनिर्माण में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

बाल ठाकरे का स्मारक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा : उद्धव ठाकरे

औरंगाबाद, 12 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे का स्मारक आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री ने शहर में 1,680.50 करोड़ रुपए की लागत वाली पानी की पाइप लाइन परियोजना के शिलान्यास समारोह में यह बात कही। बाल ठाकरे का स्मारक औरंगाबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव है ठाकरे ने औरंगाबाद में तीन अन्य परियोजनाओं– 152 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी सड़क परियोजना, 174 करोड़ रुपये की सफारी पार्क परियोजना और बाल ठाकरे के स्मारक का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास किया।

उद्धव ठाकरे ने कहा, 'शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बालासाहेब ठाकरे का स्मारक आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को बढ़ावा देगा। यह उनके काम के बारे में भी बताएगा।'

डिजिटल मतदाता पहचानपत्र मुहैया कराने पर विचार

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप में मतदाताओं को उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।

उन्होंने कहा, हमें क्षेत्र के अधिकारियों, (राज्य के) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्य समूहों एवं जनता से विचार और सुझाव मिलते रहे हैं। उनमें से यह एक विचार है जिस पर हम काम कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या डिजिटल मतदाता पहचान पत्र का मतलब यह होगा कि कोई मतदाता उसे किसी ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन में रख सके, तो अधिकारी ने कहा कि आयोग पहले फैसला कर ले, उसके बाद इस तरह का ब्योरा तय किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया, इसे मोबाइल, वेबसाइट, ई-मेल के जरिए रखा जा सकता है... विचार यह है कि इसकी (पहचान पत्र की) तेजी से आपूर्ति की जाए और उस तक आसानी से पहुंच हो। कार्ड के छपने और मतदाता तक पहुंचने में समय लगता है। आधार कार्ड, स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजिटल माध्यम में उपलब्ध हैं।

कोविड के बाद की दुनिया में भारत के लिए होंगी अपार संभावनाएं : चंद्रशेखरन

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा)।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 के बाद की नई विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अपार अवसर होंगे, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए देश को तैयार करने और खासतौर से डेटा तथा कराधान के क्षेत्र में नियामक मानक बनाने की जरूरत है।

उन्होंने उद्योग संगठन फिक्की के 93वें वार्षिक अधिवेशन में कहा कि यदि यह विचार कि '2020 का दशक भारत का है' को साकार करना है तो उद्योग को मुखर होना होगा और सभी परियोजनाओं की परिकल्पना बड़े स्तर पर करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रतिभा, डेटा और बैंडबिड्थ पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है।

चंद्रशेखरन ने कहा कि मुझे यहां उद्योग और सरकार के बीच एक सहयोगी भूमिका दिखाई दे रही है... सरकार को इस साझेदारी को सक्षम बनाना चाहिए और भारत को इस नई दुनिया में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गांव में पर्याप्त बैंडबिड्थ और किफायती डेटा हो। उन्होंने कहा कि सरकार को डेटा गोपनीयता, डेटा स्थानीयकरण और सामान्य कराधान पर आवश्यक नियामक मानकों को भी स्थापित करना चाहिए।

चंद्रशेखरन ने कहा कि कोरोना विषाणु महामारी के बाद भारत के लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के फीसद को बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है।

उन्होंने कहा कि हम आमतौर पर बिजली, लॉजिस्टिक्स और श्रम जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हैं। हमने उच्च ब्याज दरों की ओर ध्यान दिलाया है... लेकिन भविष्य में यदि हम इसे पीछे छोड़ सकें तो हम नई विश्व व्यवस्था की एक धुरी बन सकते हैं।

छोटे कद के नेताओं ने पवार को शीर्ष पर जाने से रोका : राउत

मुंबई, 12 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि छोटे राजनीतिक कद के नेताओं ने शरद पवार को शीर्ष पर जाने से रोका। कांग्रेस के पूर्व नेता पवार ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठन किया था। पवार का आज 80वां जन्मदिन है।

राउत ने नासिक में पत्रकारों से कहा कि पवार की योग्यता और गुण उनकी राजनीतिक यात्रा में एक अवरोधक बन गए। छोटे कद के नेताओं को उनसे डर था और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह शीर्ष पर न पहुंचें। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस में चुनाव हुए होते तो 80 फीसद वोट पवार के पास होते।

शिवसेना के नेता ने कहा कि पवार को बहुत पहले ही प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था। आज वह 80 वर्ष के हैं। लेकिन वह ऐसे नेता है जिसके लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। कांग्रेस के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों का सफाया नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक समय में भाजपा के केवल दो सांसद थे।

उन अटकलों पर कि पवार संप्रग के अध्यक्ष बन सकते हैं, राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र का कोई नेता कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रमुख बन जाता है, तो 'हमें खुशी होगी।' दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर राउत ने कहा कि यदि केंद्र सरकार 'दो कदम पीछे हट जाएगी' तो इससे उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर पुनः बहस करें। समझें कि किसान इन कानूनों को निरस्त करने के लिए क्यों कह रहे हैं।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
हाईपैड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	हाईपैड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24/08/2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी कानपुर
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U32109UP2016FTC085883
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	प्लॉट नं. 154 सी, ब्लॉक ए, सेक्टर 63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201307
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	09/12/2020–आदेश की सूचना 10/12/2020.को
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	06/06/2021
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	संदीप चांदना पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	#23, जीएफ, ए-ब्लॉक, साउथ सिटी-2, सैक्टर-49, सोहना रोड, गुरुग्राम-122018 ई-मेल आईडी : cssandeep@live.in
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	#23, जीएफ, ए-ब्लॉक, साउथ सिटी-2, सैक्टर-49, सोहना रोड, गुरुग्राम-122018 cirpforhipad@outlook.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	24/12/2020
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	वर्ग(गों) के नाम : कोई नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. 2.कोई नहीं 3.
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : #23, जीएफ, ए-ब्लॉक, साउथ सिटी-2, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुरुग्राम-122018

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने हाईपैड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
हाईपैड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 24 दिसम्बर, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
संदीप चांदना
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237
हाईपैड टेक्नोलॉजी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के आईआरपी
11 दिसम्बर, 2020
गुरुग्राम

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23/08/2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72300DL2010PTC207463
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	602/96, छठी मंजिल, सिद्धार्थ बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, निकट सेंट्रल बैंक, नई दिल्ली-110019
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	09-12-2020 (सी.आर. सं. IB-923/ND/2020 में माननीय एनसीएलटी, दिल्ली-पीठ IV द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2020 को घोषित किया गया तथा एनसीएलटी से ई-मेल के माध्यम से आईआरपी द्वारा आदेश की प्रति 09.12.2019 को प्राप्त हुई।)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	07.06.2021 (समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नामः गगन गुलाटी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00893/2019-2020/12832
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पंजीकृत कार्यालय : ए-179, प्रथम तल, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-110015 ई-मेल पता : ipgagangulati@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पंजीकृत पता : ए-179, प्रथम तल, सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-110015 ई-मेल पता : pantelcirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	23/12/2010
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेब लिंक : https//ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है हालांकि माननीय एनसीएलटी, दिल्ली-पीठ IV द्वारा सी.आर. सं. IB-923/ND/2020 में आदेश 20.11.2020 को घोषित किया गया किन्तु संशोधित आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा आईआरपी को 09.12.2019 को प्राप्त हुई।
पैन्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 23 दिसम्बर, 2020 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।
गगन गुलाटी
पेस्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के आईआरपी
IBBI/IPA-002/IP-N00893/2019-2020/12832
तिथि: 12.12.2020
स्थान: नई दिल्ली

बिक्री सूचना
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालयः 632/7, दूसरी मंजिल, खारी बावली, नई दिल्ली-110006 भारत
परिसमापकः निशान्त गौरव गुप्ता
परिसमापक का पताः सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
मोबाइल नं.: +91-8882555719 (श्री ओम प्रकाश शर्मा)
ई-नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 22 दिसम्बर, 2020 को 01.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. भा.मा.स. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 12 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधानपीठ पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की आस्तियों तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी कम्पनी लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. तथा प्लेटफार्म https://www.eauctions.co.in के द्वारा की जायेगी।

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
1 किमी, इन्कोण्डा रोड, ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला अमरोहा पर स्थित श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के संयन्त्र के परिसर के आन्तरिक भाग में स्थित सम्पूर्ण संयन्त्र तथा मशीनरी (अचल तथा चल दोनों) एवं उस पर भवन	ब्लॉक-1	रु. 22.50 करोड़	रु. 22,50,000/-

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. के द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. यह सूचना आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा एवं शपथपत्र प्रपत्र, ई-नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के संयोजन में पढ़ी जायेगी जो वेबसाइटः https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री दीक्षित प्रजापति 7874138237 ई-मेल आईडीः admin@eauctions.co.in.
3. ई-नीलामी में वह भूमि शामिल नहीं है जिस पर संयंत्र अवस्थित, फास्टेन्ड तथा निर्धारित की जा रही है।
4. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर वाहनों के स्वामित्व, बीमा एवं अन्य बकाया प्रभारों, यदि कोई हो, से सम्बन्धित अपनी स्वतंत्र जाँच कर लेनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री ओमप्रकाश शर्माः +91 8882555719 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त वर्णित वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. नीलामी के तहत रखी सम्पत्ति का निरीक्षण 17.12.2020 को किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को संयन्त्र का निरीक्षण करने से पूर्व श्री ओमप्रकाश शर्मा से +91 8882555717 पर सम्पर्क करना होगा।
6. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से "श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड परिसमापनाधीन" के खाते में, खाता सं.: 4904002100005168, पीएनबी बैंक, शाखाः एसएमई शाखा इण्डस्ट्रियल एरिया, पटपड़गंज, नई दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0490400 में या श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड परिसमापनाधीन के नाम पर किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से जमा करनी होगी या ईएमडी राशि के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।
7. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) बोली आवेदन प्रपत्र, 8) बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई- नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई- नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है।
ये सभी दस्तावेज 19.12.2020 को 5.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
8. पोर्टल https://www.eauctions.co.in पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
9. ई-नीलामी में भाग लेने वाले पात्र बोलीदाताओं को कम से कम आरक्षित मूल्य पर बोली लगानी होगी और वे ब्लॉक के लिए न्यूनतम रु. 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की न्यूनतम वर्धन राशि अथवा इन राशियों के गुणक में अपनी बोली बढ़ायेंगे।
10. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन होगा।
11. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी राशि) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
12. सफल बोलीदाता को ई-नीलामी पर रखी सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी विधिक/ गैर-विधिक बकायों, करों, दरों, आकलन प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
13. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/ अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
14. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ रद्द/ निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
15. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।

निशान्त गौरव गुप्ता
परिसमापक
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के मामले में
पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739
पंजीकृत ई-मेलः nishantgaurav@outlook.in
पताः सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
तिथि: 12.12.2020
स्थान: नई दिल्ली
फोनः +91 7840003243 I प्रक्रिया विशिष्ट ई-मेलः liquidator@outlook.in

रावत ने कुंभ मेले के कार्य वक्त पर पूरा करने की दी हिदायत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 12 दिसंबर।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वा में अगले साल 30 जनवरी से लगने वाले कुंभ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक स्वीकृतियों, कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कुंभ मेले के संपन्न होने के बाद इस संबंध में कोई अनावश्यक विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत कुंभ मेले के लिए स्पेशल कोविड अधिकारी तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

रावत ने कुंभ मेले के कार्यों के लिए मेला अधिकारी को 2 करोड़ और आयुक्त गढ़वाल मंडल को 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदान करते हुए आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत होने वाले कार्यों के लिए अनुभवी अभियंताओं और वरिष्ठ वित्त अधिकारी की समिति गठित करने के भी निर्देश दिए जो आयुक्त को कुंभ व्यवस्था की स्वीकृति जारी करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों से सभी स्थाई निर्माण कार्यों को 31 जनवरी से पूर्व पूर्ण करने और अस्थाई निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कुंभ कार्यों को पूर्ण करने में कोई कठिनाई न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उन्होंने इसके लिए विभागीय सचिवों को भी कार्यों की निरंतरता के साथ अनुश्रवण के निर्देश दिए।

शनिवार को सचिवालय में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर संपादित होने वाली व्यवस्थाओं की एसओपी जारी करने के साथ ही काम पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के प्रसार पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी के सचिव आरके सुधांशु ने हरिद्वा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों के निर्माण की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की बाइपास के साथ ही सभी महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य 31 जनवरी से पूर्व कर लिया जाएगा।

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 30.12.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार(बी)/ गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%)	वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	सम्पर्क हेतु प्राधिकृत का नाम एवं नं.
1	मैसर्स नवीन कंस्ट्रक्शन (प्रोपराइटर श्री नवीन कुमार)	सम्पत्ति नं. सी-360/3, खसरा नं. 839 में से, गली नं. 11, न्यू उस्मानपुर शाहदरा, नई दिल्ली-110053 में स्थित, (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 46.36 लाख	₹ 4.64 लाख	₹ 1.00 लाख	रु. 66,02,155.00 दिनांक 01.12.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि	श्री शैलेश रंजन मो. 8800447600
2	मैसर्स टॉप रनर इम्पेक्स प्रा. लि. 1. श्रीमती वंदना माथुर 2. श्री दीपक माथुर	रिहायशी फ्लैट नं. सी-01/1, प्रथम तल, इंडियन एयरलाईन्स पॉयलेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाएटी, सैक्टर-28, एस्सल टॉवर, एमजी रोड, गुड़गाँव, हरियाणा-122001 में स्थित, (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 302.00 लाख	₹ 30.20 लाख	₹ 1.00 लाख	रु. 3,51,37,744.00 दिनांक 15.01.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि	श्री शैलेश रंजन मो. 8800447600

ई-नीलामी की तिथि : 30-12-2020 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय : 28-12-2020 पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक
ईएमडी और अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की अंतिम तिथि व समय
दिनांक 29-12-2020 अपराह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले (प्रतिलिपि एवं मूल प्रति) व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT

ई-नीलामी हेतु नियम व शर्तेः-
1. ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (Auction Tiger), हेल्पलाईन नं. 079-40230833/832 के माध्यम से वेबपोर्टल https://sbi.auctiontiger.net पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://sbi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो/ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
4. ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्तें निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। https://auctiontiger,net, https://www.sbi.co.in
दिनांक 13.12.2020, स्थान : नई दिल्ली
हस्ता0/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक